

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 22/01/2019

विषय:- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्ति/वजीफा मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर के पत्रांक-2786 दिनांक-05.12.2018 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्ति/वजीफा मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण दी जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	20000000	19650000	39650000	20000000	19650000	39650000	0

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि0(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश सं0-93(1), दिनांक-17.01.2019 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से की जाएगी।

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इस की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

6. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0ने0मे0कॉ0-02/2018-97(1) ~~20~~ /स्वा0, पटना, दिनांक-22/01/2019

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/ज0ने0मे0कॉ0-04/2018-93(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-17/01/2019

सेवामें,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग.

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू0 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू0 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक-18.04.11 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0ने0मे0कॉ0-04/2018-93(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक-17/01/2019

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त/ अनुदान
.....के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

*अ-नौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा-वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/ज०ने०मे०कॉ०-04/2018-35(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 7 /०1 /2019

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू० 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित ।

2. अतिरिक्त/ अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित ।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

अतिरिक्त/अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो ।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू० 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र की राशि संस्थान के छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु नितान्त आवश्यकता है ।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के 0010.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद, माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 के 0006.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद, माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के 0012.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल समतुल्य राशि रू० 1,96,50,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र की वित्तीय वर्ष 2018-19 में बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है ।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है ।

सरकार के संयुक्त सचिव
3/1/19

माँगा सं०-20

अनुदान/विनियोग

माँगा सं०-20

माँगा संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-विकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010

माँगा संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-विकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयें	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयें	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गर प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
0010.34.01	₹ 20000000	₹ 20000000	₹ 39650000	₹ 19650000	₹ 39650000	0010.27.02 अनुसंधान एवं मरम्मत	₹ 10000000	₹ 10000000	₹ 0	₹ 0	₹ 0
छात्रवृत्ति/वजीफा						माँगा संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-भागध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006					
						0006.27.02 अनुसंधान एवं मरम्मत	₹ 10000000	₹ 10000000	₹ 7414000	₹ 2586000	₹ 7414000
						माँगा संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-विकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012					
						0012.27.02 अनुसंधान एवं मरम्मत	₹ 10000000	₹ 10000000	₹ 2936000	₹ 7064000	₹ 2936000
कुल योग-					19650000						

35 (1)

7-9-19

सरकार के संयुक्त सचिव